भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation

उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

16-30 सितंबर 2020

कोरोना के साए में बिहार विधानसभा का चुनाव

- दिल्ली में मोहर्रम पर दंगा करवाने का प्रयास विफल
- पाकिस्तान में शिया-सुन्नी विवाद
- सऊदी अरब में गृह युद्ध की संभावना
- बीबी फातिमा मजार के पुनर्निर्माण की मांग

अनुक्रमणिका

कोरोना के साए में बिहार विधानसभा का चुनाव	03
आदिवासियों को हिन्दू समाज से अलग दिखाने के प्रयास	09
दिल्ली में मोहर्रम पर दंगा करवाने का प्रयास विफल	11
विदेशी तब्लीगियों के खिलाफ मुंबई में मुकदमें वापस	12
हज धनराशि की वापसी	13
पाकिस्तान में शिया-सुन्नी विवाद	13
जर्मनी में अजान पर प्रतिबंध हटा	15
पेशावर के स्कूल पर आतंकवादी हमले की रिपोर्ट	15
सऊदी अरब में गृह युद्ध की सम्भावना	16
ईरान पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास	19
अरब देशों से इजरायल की बढ़ती हुई दोस्ती	19
बीबी फातिमा मजार के पुनर्निर्माण की मांग	21
ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान व्यापारिक केन्द्र स्थापित करेगा	22

कोरोना के साए में बिहार विधानसभा का चुनाव

कोरोना काल में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में विधानसभा के चुनाव कराए जाने की उर्दू समाचारपत्रों ने आलोचना की है।

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (26 सितंबर) ने अपने सम्पादकीय में चेतावनी दी है कि "बिहार के चुनाव के कारण कोरोना की महामारी और भी फैल सकती है। समाचारपत्र ने कहा है कि कोरोना के कारण हम कई अच्छे नेताओं को खो चुके हैं और इस समय औसतन हर रोज एक लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और इसमें इन चुनावों के कारण और भी वृद्धि होने की सम्भावना है। यदि ऐसा हुआ तो इस चुनाव को देश के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। सम्पादकीय में कहा गया है कि चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार छह लाख पीपीई किट राज्य के चुनाव आयोग को दी जाएगी और 46 लाख मास्क भी बांटे जाएंगे। छह लाख फेस शील्ड भी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 23 लाख दस्तानों और भारी संख्या में हैंड सैनिटाइजर का भी प्रबंध किया जाएगा। चुनाव आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पांच से ज्यादा लोगों को घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी और एक बूथ पर एक हजार वोटर ही मतदान में भाग ले सकेंगे। मतदान का समय सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। ऐसे हालात में कितने लोग मतदान का प्रयोग करेंगे इसके बारे में अभी कुछ भी कहना कठिन है। क्योंकि बिहार की गणना उन राज्यों में होती है जहां पर मेडिकल सुविधा संतोषजनक नहीं है।"

समाचारपत्र ने मांग की है कि "बिहार के चुनाव के बाद कोरोना का टेस्ट व्यापक पैमाने पर किया जाए। अस्पतालों और डॉक्टरों की पहले से बहुत ज्यादा व्यवस्था की जानी चाहिए। कोरोना से संक्रमितों की संख्या में भारत दूसरे नम्बर पर है। फिर एक बड़े राज्य में हर हाल में चुनाव करवाना इतना जरूरी क्यों है? जबकि स्वयं मुख्य चुनाव आयुक्त

सुनील अरोड़ा ने इस बात को स्वीकार किया है कि कोरोना महामारी के कारण 70 देशों में चुनाव स्थगित किए गए हैं।"

दैनिक इंकलाब (26 सितम्बर) ने अपने सम्पादकीय का शीर्षक दिया है, 'कोरोना की पतझड़ में बिहार में राजनीतिक बहार।' समाचारपत्र ने इस बात पर हैरानी प्रकट की है कि "आज देश में बहुत ही गम्भीर स्थिति है। कोरोना महामारी कम होने की बजाय निरंतर बढ़ती जा रही है। हम नहीं जानते कि बिहार चुनाव को किन कारणों से टाला नहीं गया है। इस समय बिहार में पौने दो लाख से अधिक संक्रमित लोग मौजूद हैं और उनमें हर रोज निरंतर वृद्धि हो रही है। बाढ़ की विनाश लीला, रेलों और पुलों की बर्बादी और बांध टूटने की घटनाओं ने आम लोगों का जीवन दूभर कर दिया है। मगर चुनाव आयोग ने जनता पर तरस खाने की बजाय उन पर जबरन चुनाव लाद दिया है। इसका बड़ा कारण यह है कि भाजपा को यह लग रहा है कि चुनाव करवाने का यह सबसे बेहतर अवसर है और वह वर्तमान हालात में नीतीश कुमार के साथ मिलकर 200 से ज्यादा सीटें जीत लेंगे।"

"दूसरा कारण यह है कि विपक्ष के कई नेताओं ने यह मत व्यक्त किया था कि इस समय चुनाव करवाना उचित नहीं होगा। ऐसी स्थिति में सरकार को यह लगा कि चुनाव टालने से विपक्ष को अपनी स्थिति को मजबूत करने का अवसर मिल जाएगा। मगर केन्द्र सरकार और भाजपा को इस बात की जानकारी नहीं कि जिस तरह से बिहार में अपनी जीत को लेकर वह ख्याली-पुलाव पका रही है वह कोरोना की आग में पतीली सहित जल भी सकता है और तेजस्वी यादव अप्रत्यक्ष तौर पर सेकुलर फोर्स के एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। यह बात भी बीजेपी को याद होगी कि पिछले चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। पिछले चुनाव में जब उन्होंने नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो इस गठबंधन ने 180 सीटें जीती थी। मगर बाद में नीतीश कुमार की बेवफाई के कारण सेकुलर गठबंधन टूट गया और नीतीश कुमार ने उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया जिनके साए से भी वे दूर रहने की बात

करते थे। खैर, यह तो राजनीति है। यहां सारे रिश्ते तो सिर्फ कुर्सी की बुनियाद पर चलते हैं। कुर्सी डांवाडोल हो तो कोई किसी का सगा नहीं रहता। इसलिए किसी से शिकायत करना फिजूल है। हां, अब यह जरूर देखना है कि बिहार में कोरोना के इस मौसम में अपनी जान को जोखिम में डालकर वोट डालने के लिए कितने लोग बाहर निकलते हैं? हालांकि कोरोना की महामारी को समक्ष रखते हुए कुछ प्रबंध किए गए हैं। मगर इनसे क्या महामारी के प्रकोप को रोका जा सकेगा? वैसे भी हमारे देश के नेता कोरोना को लेकर एक दिन भी गम्भीर नहीं हुए। कभी कोई केन्द्रीय मंत्री 'गो कोरोना गो' के नारे लगाता था तो कभी प्रधानमंत्री कहते थे कि महाभारत की जंग 21 दिन में खत्म हुई थी और कोरोना भी 21 दिन में खत्म हो जाएगा।"

"यह इस देश का दुर्भाग्य है कि जब देश के 90 प्रतिशत से अधिक नगरों में कोरोना का एक भी मरीज नहीं था तो सारे देश में इतना सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया कि जनता तो जनता परिंदे भी अपनी घोंसले से बाहर निकलने में डरने लगे। आज जब हम दुनिया में दूसरे नम्बर पर आ गए हैं तो सारी पाबंदियां हटा ली गई हैं।"

दैनिक सियासत (26 सितंबर) के अनुसार "बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा की आलोचना की है। समाचारपत्र का कहना है कि जब देश में कोरोना तेजी से फैल रहा है तो चुनाव आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी और विभिन्न राजनीतिक दल भी चुनाव की तैयारियों में जुट गए। विशेष रूप से सत्तारूढ़ मोर्चे ने चुनाव की तैयारियों की ओर विशेष ध्यान दिया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष के कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया और वे विरोधी गठबंधन में फूट डलवाने में भी सफल रहे। जीतन राम मांझी को आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन से दूर कर दिया गया। विपक्ष की तैयारियों में अभी उतनी तेजी नहीं आई है जितनी आनी चाहिए थी। बिहार के चुनाव का इसलिए भी महत्व है कि पिछले चुनाव में जनता ने जिस गठबंधन को सफल बनाया था उसे धोखा देते हुए नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया। बिहार की जनता को अपने मतों के महत्व, राज्य की तरक्की और भविष्य को सामने रखने की जरूरत है।"

समाचारपत्र ने राष्ट्रीय जनता दल की पैरवी करते हुए कहा है कि "बिहार में साम्प्रदायिक और सेकुलर ताकतों में सीधी टक्कर हो रही है। बिहार का राष्ट्रीय जनता दल देश भर में एक मात्र ऐसी पार्टी है जिसने अभी तक समझौता नहीं किया है। बिहार के मतदाता राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं। उन्हें अपने राजनीतिक भविष्य को सामने रखते हुए फैसला करना चाहिए। उन्हें यह अंदाजा हो चुका है कि नीतीश कुमार कुर्सी के लिए किसी से भी गठजोड़ कर सकते हैं। बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को यह याद रखना चाहिए कि लालू की पार्टी ही एक मात्र ऐसी पार्टी है जो कि बीजेपी के रास्ते में असली रूकावट है। राजनीतिक चोला बदलकर जनता को धोखा देने के लिए किसी के भी इशारे पर नाचने वालों को जनता को ठुकरा देना चाहिए।"

मुंबई उर्दू न्यूज (26 सितंबर) ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि "विपक्षी दलों ने सर्वोच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया था कि कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए प्रसार को देखते हुए बिहार विधानसभा के चुनाव को टाल दिया जाए। मगर इसका कोई परिणाम नहीं निकला। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कह दिया कि कोरोना के आधार पर चुनाव को नहीं रोका जा सकता और चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। आखिरकार बिहार विधानसभा के मतदान की घोषणा कर दी गई। चुनाव में कोरोना से संक्रमित लोग भी मतदान कर सकेंगे और उनके लिए अलग मतदान केन्द्र की व्यवस्था होगी। मजे की बात यह है कि इस बार नामांकन पत्र और शपथपत्र भी ऑनलाइन दाखिल किए जाएंगे। जमानत की धनराशि भी ऑनलाइन दाखिल की जा सकेगी। नामांकण के समय सिर्फ दो व्यक्ति ही उम्मीदवार के साथ होंगे। चुनाव अभियान के दौरान किसी को हाथ मिलाने की अनुमति नहीं होगी।"

मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने अपने पत्रकार सम्मेलन में यह घोषणा की है कि "बिहार में 243 सीटों पर मतदान होगा और सात करोड़ से अधिक मतदाता मतदान में भाग लेंगे। एक बूथ पर 1000 मतदाता ही वोट कर सकेंगे। वैसे नीतीश सरकार के काम से इस बार मतदाता संतुष्ट नहीं हैं। मगर फिर भी सत्तारूढ़ पार्टियां इस महामारी के दौरान

चुनाव कराने पर क्यों तुली हुई हैं? इसका कारण तो जेडीयू और बीजेपी वाले ही बता सकते हैं। नीतीश कुमार ने चुनाव से पूर्व जो सात वायदे किए थे उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। कुशवाहा के महागठबंधन से अलग हो जाने का भी कोई खास असर दिखाई नहीं देता। 'उठो बिहारी करो तैयारी, जनता का शासन अबकी बारी' यह ट्वीट लालू यादव ने किया है। लालू यादव रांची के एक अस्पताल में हैं इसलिए वे चुनाव अभियान में हिस्सा नहीं ले पाएंगे।

कौमी तंजीम (27 सितम्बर) ने अपने सम्पादकीय में बिहार के मतदाताओं से अपील की है कि "वे मतदान सोच समझकर करें क्योंकि देश का भविष्य इस बात पर निर्भर है कि वे किस तरह के उम्मीदवार को चुनते हैं। समाचारपत्र ने शिकायत की है कि मतदाता श्रेष्ठ उम्मीदवारों को चयन करने की बजाय ऐसे घटिया उम्मीदवारों को वोट देते हैं जो कि उनकी जाति या धर्म के हों। इस फैसले का बुरा असर पूरे समाज और देश पर पड़ता है।"

सहाफत (27 सितम्बर) के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दस दिनों से बिहार के चुनावी अभियान को रेडियो द्वारा चलाया हुआ है। अरबों रुपये के कार्यक्रमों की बातें बताई जा रही हैं। इन सबका रूख बिहार की ओर है। प्रधानमंत्री ने जो वायदे किए हैं अगर वह ठोस रूप ले ले तो बिहार बहुत खुशहाल और विकसित हो जाएगा। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का यह अभियान मतदाताओं को किस हद तक प्रभावित कर पाता है और चुनाव परिणामों पर इसका क्या असर पड़ता है? इस बीच एक नया तूफान आया है। किसानों की समस्या ने जटिल रूप ले लिया है और एक केन्द्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर अपना त्यागपत्र तक दे दिया है।"

बिहार में एक अन्य समस्या भी है कि "जनता दल (यू) और भारतीय जनता पार्टी सीटों का विभाजन किस तरह से करती हैं। पहले यह संभावना थी कि नीतीश कुमार को वाकओवर मिल जाएगा। मगर अब ऐसा सम्भव दिखाई नहीं देता। लालू यादव हालांकि मैदान में नहीं हैं मगर उनका जो प्रभाव है वह निर्णायक सिद्ध हो सकता है। राष्ट्रीय

जनता दल को यह विश्वास है कि उन्हें मुसलमानों के मत मिलेंगे। बिहार में मुस्लिम मतदाता 30 प्रतिशत हैं। यहां यह उल्लेख करना भी जरूरी होगा कि 2015 में जनता दल (यू), कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव तो जीत लिया मगर कुर्मी नेता नीतीश कुमार ने मौका पाकर भाजपा से गठजोड़ कर लिया और अब भी उनका यह अनुमान है कि भगवा दल चुनाव जीतने में उनके लिए सहायक सिद्ध होगा।"

अखबार मशरिक (27 सितंबर) ने अपने सम्पादकीय में कहा है कि "बिहार का चुनाव कोरोना के साए में देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा। मुकाबला एनडीए और राष्ट्रीय जनता दल के बीच होगा। मगर अभी महागठबंधन कमजोर नजर आ रहा है। एनडीए को गैर-यादव ओबीसी और उंची जातियों का समर्थन प्राप्त है। भाजपा अयोध्या में राम मंदिर बनाने को कैश करने की कोशिश करेगी। इसके अतिरिक्त सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या और देश के अन्य राज्यों से बिहारी मजदूरों की वापसी भी चुनाव के परिणामों पर असर डाल सकता है। देखना यह है कि क्या बिहार की जनता नीतीश कुमार के शासनकाल से तंग आ गई है? बिहार में हमेशा चुनाव जात-पात के आधार पर लड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों के वोट निर्णायक सिद्ध हो सकते हैं।"

"एक अन्य सवाल यह है कि क्या कोरोना वायरस बिहार के चुनाव को प्रभावित करेगा। लॉकडाउन, मजदूरों की वापसी, आर्थिक बदहाली से निपटने में एनडीए की विफलता निश्चित रूप से चुनाव पर प्रभाव डालेंगे। मगर इसके साथ महागठबंधन में तेजस्वी को भावी मुख्यमंत्री बनाए जाने के बारे में जो मतभेद हैं उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे हालात में यह साफ है कि किसी भी पार्टी एवं गठबंधन को भारी भरकम विजय प्राप्त नहीं होगी और मुकाबला कांटे का होगा।"

आदिवासियों को हिन्दू समाज से अलग दिखाने के प्रयास

इंकलाब (19 सितंबर) के अनुसार "मध्य प्रदेश में आदिवासी स्वयं को जनगणना में गैर-हिन्दू के रूप में दर्ज करवा रहे हैं, जिससे विश्व हिन्दू परिषद और आरएसएस के होश उड़ गए हैं। वे ईसाई पादरियों और वामपंथियों पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वे आदिवासियों को हिन्दू धर्म से दूर करने की साजिश कर रहे हैं। जबकि आदिवासियों की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि उनके हर प्रयास को नक्सलवाद से जोड़ दिया जाता है। सरकार और प्रशासन उनके साथ नक्सलियों जैसा व्यवहार करते हैं। इसका ताजा उदाहरण 6 सितंबर की घटना है। बालाघाट में झाम सिंह नामक एक आदिवासी अपने साथी के साथ नदी में मछली पकड़ने के लिए गया। पुलिस ने उसे गोली मार दी। आदिवासियों ने इस घटना की जांच की मांग की। पुलिस मुख्यालय ने इस मुठभेड़ की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया और मानवाधिकार आयोग ने इस घटना के लिए डीजीपी से रिपोर्ट भी मांगी है।"

"हिन्दू संगठन आदिवासियों के साथ होने वाले अन्याय के निराकरण करने की बजाय ईसाई पादरियों और वामपंथियों को निशाना बना रहे हैं। संघ और विश्व हिन्दू परिषद ने पादरियों और वामपंथियों के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय किया है। संघ की ओर से यह प्रचार किया जा रहा है कि आदिवासी दानव राज बाली के वंशज हैं। लेकिन बाली एक आदिवासी था वह हिन्दू नहीं था। संघ परिवार ऐसा साहित्य बनाने में लगा हुआ है कि जिससे यह सिद्ध किया जाए कि आदिवासी हिन्दू हैं। हिन्दू संगठनों का मानना है कि ईसाई पादरी और वामपंथी देश भर के बारह करोड़ आदिवासियों को उकसाकर हिन्दू समाज से अलग कर रहे हैं।"

समाचारपत्र को यह भड़काऊ समाचार छापने भर से संतोष नहीं हुआ। इस समाचारपत्र के संपादक शकील शम्सी ने 25 सितंबर को इसी विशेष मुद्दे पर एक विशेष सम्पादकीय लिख दिया, जिसमें उनका कहना है कि "इस देश में बारह करोड़ आदिवासी हैं जो हजारों वर्षों से जंगलों और वीरानों में रहते आए हैं। इनकी जीवन पद्धति, धार्मिक विश्वास, सामाजिक व्यवस्था, खाना-पीना आम हिन्दुस्तानियों से काफी भिन्न है। ये किसी देवी-देवता को नहीं मानते। इनके यहां पूजा करने के लिए पुरोहित या ब्राह्मण नहीं होते। आम हिन्दू इस बात को बखूबी समझते हैं कि आदिवासी हिन्दू नहीं हैं। आदिवासियों का भी कहना है कि वे हिन्दू नहीं हैं। हिन्दू धर्म-ग्रन्थ को वे स्वीकार भी नहीं करते। आदिवासी जो देश के विभिन्न भागों में रहते हैं उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। इनमें सरना, संथाल, मुंडा, गोंडी आदि जातियां शामिल हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद उन पर तरह-तरह का दबाव डालकर उन्हें इस बात के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वे स्वयं को हिन्दू दर्ज कराएं।"

"भारत सरकार ने जनगणना में धर्म के कॉलम में हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध का नाम तो लिखा हुआ है मगर आदिवासियों का नाम नहीं है। पिछले वर्ष आदिवासियों ने दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन करके यह घोषणा की थी कि वे जनगणना में स्वयं को हिन्दू नहीं लिखवाएंगे। मगर सरकार उनकी बात मानने के लिए तैयार नही हैं। आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद का आरोप है कि मुसलमान और ईसाई आदिवासियों को बहका रहे हैं। वैसे आदिवासियों का मामला कोई नया नहीं है। बहुत समय से संघ की यह कोशिश रही है कि आदिवासी स्वयं को वनवासी लिखवाने के बजाय हिन्दू लिखवाएं।"

शकील शम्सी ने दावा किया है कि "संघ परिवार लाख कोशिश करने के बावजूद सिख, जैन और बौद्धों को हिन्दू समाज का हिस्सा नहीं बना सका। इसलिए वह अब सारा जोर आदिवासियों पर लगा रही है। कई प्रदेशों में आदिवासियों को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वे स्वयं को हिन्दू लिखवाएं। कुछ समय पूर्व भोपाल में आयोजित

आरएसएस के एक कार्यक्रम में आरएसएस और विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं ने इस बात पर चिंता प्रकट की है कि आदिवासियों में यह अभियान चलाया जा रहा है कि वे स्वयं को हिन्दू न लिखे। इस बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि वे आदिवासियों में चल रहे इस अभियान को विफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इस लक्ष्य से ऐसा साहित्य तैयार किया जा रहा है जिसमें यह बताया जाएगा कि वे हिन्दू ही हैं। सवाल यह पैदा होता है कि संघ परिवार को यह अधिकार किसने दिया कि वह यह तय करे कि कौन किस धर्म को मानता है।"

दिल्ली में मोहर्रम पर दंगा करवाने का प्रयास विफल

"देश के विभिन्न शिया संगठनों ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि उन्हें मोहर्रम के अवसर पर ताजिये निकालने की अनुमति दी जाए। मगर सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी अनुमति नहीं दी। मुस्लिम चैनल **हिन्दुस्तान टीवी** ने मोहर्रम के दौरान दिल्ली की शाह मर्दान दरगाह के प्रबंधक बहादुर अब्बास के वक्तव्य को खूब नमक मिर्च लगाकर परोसा। बहादुर अब्बास ने यह आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस उन पर इस बात के लिए दबाव डाल रही है कि वे इस बात की घोषणा करें कि दरगाह में श्रद्धालुओं को आने और मर्सिया पढ़ने पर न्यायालय ने प्रतिबंध लगा रखा है। उन्होंने यह दावा किया कि पुलिस की ओर से उन्हें यह धमकी दी जा रही है कि यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा।"

उनके इस वक्तव्य को बार-बार सोशल मीडिया में वायरल किया गया और यह दावा किया गया कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से हजारों शिया दरगाह में आने के लिए सड़कों पर जमा हैं। मगर दिल्ली पुलिस उन्हें जबरन दरगाह में आने से रोक रही है। साफ है कि इस दुष्प्रचार का एक मात्र लक्ष्य यह था कि मुसलमानों और पुलिस में

मुठभेड़ करवाई जाए। मगर दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव और अन्य उच्चाधिकारियों ने इक्ट्ठे हुए श्रद्धालुओं को समझा-बुझाकर वापस उनके घरों की ओर भेज दिया। इसके साथ ही दिल्ली में अशांति फैलाने का जो मंसूबा विपक्षी दलों द्वारा बनाया गया था वह विफल हो गया।

विदेशी तब्लीगियों के खिलाफ मुंबई में मुकदमें वापस

इंकलाब (21 सितंबर) के अनुसार "मुंबई पुलिस ने न्यायालय को यह आश्वासन दिया है कि तब्लीगी जमात से संबंधित 20 विदेशी नागरिकों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोप में दर्ज मुकदमें वापस लिए जाएंगे। अप्रैल में डीएन नगर थाने में इंडोनेशिया और कज़ाकिस्तान के 10-10 नागरिकों के खिलाफ मुकदमें दर्ज किए गए थे। इन मुकदमों को विदेशी नागरिकों ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर मुख्य कार्यकारी न्यायाधीश ने न्यायालय को यह निर्देश दिया कि इन मुकदमों पर एक महीने के भीतर सुनवाई की जाए ताकि ये लोग अपने देश वापस जा सकें। आरोपियों के वकील ने यह शिकायत की कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बावजूद आरोपियों के खिलाफ एक महीने में मुकदमें की सुनवाई नहीं हुई और बार-बार इस सुनवाई को स्थगित कर दिया गया। बांद्रा पुलिस ने न्यायालय में यह स्वीकार किया है कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नही हैं। न्यायालय ने कहा कि आरोपियों पर वीजा नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा चलाया जाएगा। इससे पूर्व महाराष्ट्र में बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद बेंच तब्लीगी जमात के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुकदमें रद्द कर चुकी है।"

हज धनराशि की वापसी

कौमी तंजीम (27 सितंबर) के अनुसार "अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हज यात्रियों ने हज जाने के लिए जो 2100 करोड़ रुपये जमा करवाए थे वह हज रद्द हो जाने के कारण बिना किसी कटौती के उनलोगों को वापस कर दिया जाएगा। हज हाउस में आयोजित एक बैठक में नकवी ने कहा कि सऊदी सरकार ने 2021 के हज के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन वर्षों में 514 करोड़ की धनराशि हज यात्रियों को वापस की गई है। उन्होंने कहा कि हमें आशा है कि जल्द ही सऊदी अरब सरकार 2021 की हज के लिए निर्देश जारी करेगी। भारत सरकार का सऊदी अरब के साथ इस संदर्भ में निरंतर सम्पर्क है। नकवी ने यह भी कहा कि मुंबई में एक नया हज हाउस बनाया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने इस उद्देश्य से नवी मुंबई में एक भूखंड हज कमेटी को अलॉट किया है।"

पाकिस्तान में शिया-सुन्नी विवाद

इंकलाब (19 सितंबर) में प्रकाशित एक लेख में पाकिस्तान के पत्रकार आरजु काज़मी ने यह स्वीकार किया है कि "पाकिस्तान में शिया-सुन्नी हिंसा की ज्वाला तेजी से भड़क रही है। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में लाखों लोग प्रदर्शन करके यह मांग कर रहे हैं कि शियाओं को काफिर करार दिया जाए। ऐसा पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि सेना में भ्रष्टाचार की खबरों की ओर से जनता का ध्यान हटाने के लिए सुन्नियों को शियाओं के खिलाफ भड़काया जा रहा है। जब इस्लाम वजूद में आया तो उस समय शिया-सुन्नी जैसी कोई बात नहीं थी और न ही कुरान में मुसलमानों को विभिन्न सम्प्रदायों में बांटकर देखा गया। बाद में जब शिया-सुन्नी वजूद में आए तो भी इन दोनों के बीच नफरत जैसी कोई बात नहीं थी। अजीब बात यह है कि दोनों का

मोहम्मद और कुरान पर विश्वास है। दोनों अपने आपको मुसलमान कहते हैं। तब यह समझ में नहीं आता कि एक दूसरे को काफिर करार देने की मांग क्यों हो रही है?"

पाकिस्तान का पड़ोसी देश ईरान शिया बहुल देश है जबकि सऊदी अरब एक सुन्नी देश है। पाकिस्तान के दोनों से सम्बन्ध हैं। लेकिन पाकिस्तान ईरान की तुलना में सऊदी अरब के ज्यादा नजदीक हैं। सऊदी अरब और ईरान में तनाव पैदा होता रहा है। पाकिस्तान को कई बार सऊदी अरब का साथ देना पड़ता है। लेकिन वह ईरान को भी नाराज नहीं कर सकता। अगर शिया-सुन्नी विवाद को नहीं रोका गया तो पाकिस्तान से ईरान के सम्बन्ध बिगड़ सकते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त हालात बहुत खराब हैं। पुलिस थाने रिश्वत के अड्डे बने हुए हैं। न्यायालयों में न्याय नीलाम हो रहा है। झूठ और मिलावट का काम चारों तरफ है। मस्जिदों को निजी संपत्ति बना दिया गया है। एक सम्प्रदाय दूसरे के पीछे नमाज तक पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले अहमदिया मुसलमानों को काफिर करार दिया गया था। अब शिया निशाने पर हैं। सुन्नी मुसलमानों में भी बरेलवियों और देवबंदियों में झगड़ा है। शिया हो या सुन्नी दोनों तरफ के मुल्ला-मौलवी अपने-अपने स्वार्थ के कारण दोनों वर्गों को भड़का रहे हैं। शिया-सुन्नी दंगे पाकिस्तान को तबाह व बर्बाद कर सकते हैं। उसकी अर्थव्यवस्था पहले ही बदहाल है। अगर पाकिस्तान में शिया-सुन्नी दंगे हुए तो भारत भी उसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा। क्योंकि वहां भी शिया काफी संख्या में हैं।"

"इस दंगे की जड़ स्वयं पाकिस्तान ने तैयार की है। पाकिस्तान में लोगों में हिंसा फैलाई जा रही है और लोग इस हद तक तैयार हैं कि अगर कोई उनकी मजहबी बात नहीं मानता तो उसकी सरेआम हत्या कर दी जाए। इस सोच के कारण पाकिस्तान में हर आदमी एक दूसरे के लिए काफिर जैसा है। पाकिस्तान में मुसलमान ही एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। देश में जुनूनी सोच फैल रही है। अब कहा जा रहा है कि सबको रोजा रखना होगा। जो रोजा नहीं रखता वह मुसलमान नहीं है। शिया-सुन्नी विवाद ने पाकिस्तान सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। इमरान खान की सरकार कमजोर

है। उन्हें सत्ता की मलाई चाटते हुए काफी देर हो गई है। मगर अभी तक उन्होंने जन कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। इसलिए एक बड़ा वर्ग उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान में शिया-सुन्नी के नाम पर जो आग लगाई जा रही है उसे हर कीमत पर बुझाना होगा।"

जर्मनी में अजान पर प्रतिबंध हटा

इंकलाब (25 सितंबर) के अनुसार "जर्मनी में मस्जिदों में अजान देने पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसे पश्चिमी जर्मनी के नगर मंस्टर की एक न्यायालय ने रद्द कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि एक ईसाई व्यक्ति ने न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि अजान के कारण उसकी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप होता है। इस याचिका के बाद जर्मनी के मस्जिदों में अजान देने पर 2018 में प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस प्रतिबंध को जर्मनी की मुस्लिम संगठनों ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। उन्होने यह दलील दी कि अजान से ईसाईयों की धार्मिक स्वतंत्रता पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता और यह प्रतिबंध जर्मनी के संविधान के खिलाफ है, जिसमें विभिन्न धर्मों को मानने वालों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है।"

पेशावर के स्कूल पर आतंकवादी हमले की रिपोर्ट

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (26 सितंबर) के अनुसार "पाकिस्तान सरकार ने 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर हुए आतंकवादी हमले की जांच रिपोर्ट पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी है। इस हमले में लगभग 200 बच्चे मारे गए थे। इस घटना की जांच के लिए पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय ने छह वर्ष पूर्व एक जांच आयोग गठित किया था। इस न्यायिक जांच आयोग के प्रमुख जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान थे। इस जांच रिपोर्ट में इस हमले के लिए पाकिस्तान की लचर सुरक्षा व्यवस्था को

दोषी ठहराया गया है। जांच आयोग ने 500 से अधिक पृष्ठों की जांच रिपोर्ट में कहा है कि इस स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था लचर थी और आतंकवादियों द्वारा दी जा रही धमकियों के बावजूद स्कूल प्रशासन ने सुरक्षाकर्मियों की संख्या में कटौती कर दी थी।"

रिपोर्ट में कहा गया है कि "आतंकवादी स्कूल के पीछे से इसके परिसर में दाखिल हुए। लेकिन उन्हें रोकने के लिए किसी ने कोई प्रयास नहीं किया। स्कूल में जो लोग सुरक्षाकर्मियों के रूप में नियुक्त थे वे आक्रमणकारियों को देखकर बिना गोली चलाए वहां से भाग गए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां निकम्मी हैं क्योंकि वे आतंकवादियों द्वारा किए जाने वाले इस हमले के बारे में प्रशासन को किसी भी तरह की पूर्व सूचना देने में विफल रही।"

सऊदी अरब में गृह युद्ध की सम्भावना

मीडिया स्टार वर्ल्ड (25 सितंबर, 2020) के अनुसार "सऊदी अरब के वर्तमान शासक शाह सलमान के स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण सऊदी अरब के तख्त पर कब्जा करने के लिए वहां के राज परिवार में जबर्दस्त संघर्ष शुरू हो गया है। ताजा समाचारों के अनुसार वर्तमान युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने गद्दी के सभी वारिसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सऊदी अरब से प्राप्त समाचारों के अनुसार तख्त के तीन प्रमुख दावेदारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि पूर्व युवराज नायेफ बिन अब्दुल अजीज सऊदी से भागकर तुर्की में शरण लेने में सफल हो गए हैं। जिन दो राजकुमारों को गिरफ्तार किया गया है उनमें अहमद बिन अब्दुल अजीज और मोहम्मद बिन नायेफ शामिल हैं। बताया जाता है कि सऊदी अरब के इन दोनों ताकतवर राजकुमारों को युवराज मोहम्मद बिन सलमान के व्यक्तिगत रक्षकों ने उस समय गिरफ्तार किया जब वे शिकार करने में व्यस्त थे। इनमें से एक राजकुमार सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख और दूसरा गुप्तचर विभाग का प्रमुख बताया जाता है।"

"मई 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने युवराज का पद सम्भालते ही सऊदी अरब के शाही परिवार से संबंधित 300 से अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था और उनको एक वर्ष के बाद तब कैद से रिहा किया गया जब उन्होंने इस बात का लिखित आश्वासन दिया कि वे सऊदी अरब के तख्त पर अपना दावा नहीं करेंगे। इसके अतिरिक्त सरकार ने उनकी अरबों डॉलर की संपत्ति को भी जब्त कर लिया। जिन राजकुमारों को गिरफ्तार किया गया था उनमें वे 33 राजकुमार भी शामिल थे जिन्हे स्वर्गीय शाह अब्दुल्ला ने 2008 में सर्वोच्च परामर्शदात्री समिति में नियुक्त किया था।"

"अरब जगत के पर्यवेक्षकों के अनुसार मोहम्मद बिन नायेफ को तुर्की सरकार द्वारा अपने देश में राजनीतिक शरण देने के बाद सऊदी अरब और तुर्की के संबंधों में खटास बढ़ गई है। गत वर्ष इस्लामिक सहयोगी संगठन में विभाजन हो गया था। तुर्की के नेतृत्व में 22 देशों ने मलेशिया में अपना सम्मेलन आयोजित किया था। इसके एक महीने के बाद सऊदी अरब ने रियाद में एक समानांतर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 24 इस्लामिक देशों ने भाग लिया। पाकिस्तान और कतर दो ऐसे इस्लामिक देश थे जिन्होंने इन दोनों सम्मेलनों में भाग लिया था। अरब जगत में अमेरिका के प्रयासों से इजरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध बनाने के मुद्दे पर जबर्दस्त मतभेद उत्पन्न हो गए हैं। सऊदी अरब के इजरायल के साथ सम्बन्ध दिन-प्रतिदिन मधुर होते जा रहे हैं। जानकार सूत्रों के अनुसार अरब जगत में अमेरिका के साथ-साथ अब रूस ने भी रुचि लेनी शुरू कर दी है। सऊदी अरब के तेल व्यापार को धक्का पहुचाने के उद्देश्य से रूस ने घरेलू तेल उत्पादन में भारी वृद्धि की है, जिसके कारण विश्व ऑयल मार्केट में कच्चे तेल के मूल्यों में भारी गिरावट आई है और सऊदी अरब में आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है।"

"सऊदी राजपरिवार में लम्बे समय से सत्ता की जो जंग चल रही है उसके बारे में कुछ विवरण दिल्ली से प्रकाशित **साप्ताहिक नई दुनिया** ने 29 मार्च के अंक में दिया था। समाचारपत्र ने यह आरोप लगाया है कि युवराज मोहम्मद बिन सलमान जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे अमेरिका और इजरायल का हाथ है। सऊदी अरब इजरायल के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि हाल ही में काबा के

इमाम ने सऊदी अरब के नागरिकों को निर्देश दिया है कि वे यहूदियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें।"

इसी समाचारपत्र ने एक अन्य लेख में यह दावा किया है कि "सऊदी अरब में वर्तमान शासक परिवार के संस्थापक शेख सऊद बिन मोहम्मद ने 1744 में विख्यात सुन्नी विद्वान मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जो कि वहाबियत विचारधारा के प्रवर्तक थे, से समझौता किया था। 1818 में सऊद परिवार को तुर्की के हाथों पराजित होना पड़ा। 1902 में ब्रिटेन के सहयोग से अब्दुल अजीज बिन अल सऊद ने रियाद पर कब्जा कर लिया था। 1918 में उस्मानिया साम्राज्य को अंग्रेजों के हाथों पराजित होना पड़ा। अब्दुल अजीज बिन अल सऊद ने काबा पर कब्जा कर लिया और सम्राट होने की घोषणा कर दी। उन्होंने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए सऊदी अरब के विभिन्न कबीलों के प्रमुखों की 32 पुत्रियों से शादी करके अपने आप को और सुदृढ़ बनाया। इस समय सऊदी राजपरिवार में 200 से अधिक शक्तिशाली राजकुमार हैं।"

"अब्दुल अजीज बिन अल सऊद के बेटों की संख्या 45 थी। 1953 में अब्दुल अजीज का निधन हो गया और उनके पुत्र सऊद बिन अब्दुल अजीज ने गद्दी संभाली। 1957 में किंग सऊद ने अमेरिका का दौरा किया और उससे रक्षा संधि की। 1964 में उनके खिलाफ विद्रोह हो गया और उनके सौतेले भाई फैज़ल ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। फैज़ल की हत्या 1975 में उनके एक भतीजे ने कर दी और नया शासक खालिद बना। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे भाई अब्दुल्ला को नियुक्त किया। 2005 में अब्दुल्ला ने सत्ता संभाली और 2015 में जब अब्दुल्ला का निधन हो गया तो उनके सौतेले भाई सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। इन दिनों वे अस्वस्थ बताए जाते हैं और उनके युवराज पुत्र मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के वास्तविक शासक के रूप में कार्य कर रहे हैं। अब उनसे भी सत्ता छीनने की तैयारी हो रही है।"

ईरान पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास

इंकलाब (20 सितंबर) के अनुसार "अमेरिका ने ईरान पर पुनः प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के ईरान मामलों के सलाहकार इलियट इब्राहिम ने घोषणा की है कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ वे सभी प्रतिबंध पुनः लगाने का फैसला किया है जिनका निर्देश संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि 2015 में अमेरिका ने इन प्रतिबंधों को हटा लिया था। अमेरिका ने यह भी घोषणा की है कि ईरान को अस्त्र-शस्त्र बेचने पर लगाए गए प्रतिबंध को जारी रखा जाएगा।"

समाचारपत्र के अनुसार "सुरक्षा परिषद के 15 में से 13 सदस्यों ने अमेरिकी सरकार के इस फैसले का विरोध किया है। पांच वर्ष पूर्व ईरान का अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस, फ्रांस और जर्मनी के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें ईरान ने यह आश्वासन दिया था कि वह परमाणु परीक्षण को सीमित कर देगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की थी। मगर दो वर्ष पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया था।"

अरब देशों से इजरायल की बढ़ती हुई दोस्ती

दैनिक इंकलाब (13 सितंबर) के अनुसार "संयुक्त अरब अमीरात ने इजरायल से राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने की घोषणा की है। इसके कुछ दिन बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी यह घोषणा की कि इजरायल और बहरीन के बीच भी दोस्ताना समझौता हो गया है और बहरीन भी इजरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर रहा है। बहरीन के शासक हमद बिन इसा अल खलीफा ने इस संदर्भ में वाशिंगटन में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतनयाहू के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।"

"इससे पूर्व केवल दो अरब देशों के साथ इजरायल के राजनयिक सम्बन्ध थे। इनमें से मिस्र ने 1979 और जॉर्डन ने 1994 में इजरायल के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए थे। समाचारपत्र के अनुसार इस समझौते का प्रभाव अमेरिका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ेगा। समाचारपत्र ने यह भी दावा किया है कि ईरान ने इजरायल और बहरीन के बीच राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए जाने की निंदा की है और कहा है कि इससे फारस की खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता पैदा होगी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव के कारण हुआ है।"

इंकलाब (14 सितंबर) के अनुसार "तुर्की और फिलिस्तीनी संगठनों ने भी इस समझौते की निंदा की है और फिलिस्तीन अथॉरिटी ने यह आरोप लगाया है कि फिलिस्तीनी जनता की पीठ में छुरा घोंपा गया है। जबकि तुर्की का कहना है कि इजरायल ने अरब के जिन क्षेत्रों पर जबरन कब्जा किया था अब इस समझौते से उस कब्जे को वैद्यता मिल जाएगी। आतंकवादी संगठन हमास ने यह घोषणा की है कि वह इजरायल के खिलाफ अपनी आक्रामक गतिविधियों में तेजी लाएगा। जबकि एक अन्य फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन अल फतह ने भी इजरायल के कब्जे से मुक्ति के अभियान को तेज करने की घोषणा की है।"

रोजनामा राष्ट्रीय सहारा (11 सितंबर) के अनुसार "फिलिस्तीन ने अरब लीग में संयुक्त अरब अमीरात और इजरायल के बीच हुए समझौते की निंदा करने का जो प्रस्ताव पेश किया था वह अरब लीग ने नामंजूर कर दिया है। प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रस्ताव को बैठक में इसलिए पेश नहीं किया गया क्योंकि इसके बारे में अरब देशों में मतभेद थे।"

बीबी फातिमा मजार के पुनर्निर्माण की मांग

इंकलाब (18 सितंबर) के अनुसार "सऊदी अरब स्थित ऐतिहासिक कब्रिस्तान जन्नत उल बाकी में स्थित हजरत मोहम्मद की पुत्री बीबी फातिमा की मजार का नवनिर्माण करने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हस्ताक्षर अभियान तेज हो गया है। सऊदी अरब की वर्तमान वहाबी हुकूमत ने 1925 में मदीना में स्थित हजरत फातिमा और उनके बेटों सहित हजरत मोहम्मद के अन्य सहयोगियों की कब्रों को ध्वस्त कर दिया था। इस्लाम के वहाबी सम्प्रदाय के अनुसार सभी कब्रें कच्ची होनी चाहिए और उनपर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। 1925 से लेकर अब तक विश्व भर के शिया इन मजारों को ध्वस्त किए जाने के खिलाफ हर वर्ष विरोध प्रकट करते आए हैं। अब भारत के डेढ़ लाख से अधिक शियाओं ने एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें सऊदी अरब सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि इन ऐतिहासिक कब्रों का नवनिर्माण करवाया जाए और यदि सऊदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं है तो शिया अपने खर्चे से इसका निर्माण करवाने के लिए तैयार हैं।"

शियाओं के एक संगठन ने यह हस्ताक्षर किया गया ज्ञापन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को सौंपा था और उनसे मांग की थी कि यह मामला संसद में उठाया जाए। इस ज्ञापन की एक अन्य प्रतिलिपि विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर को भी सौपी गई है। इस अभियान के प्रमुख अल ऐजाज मोहम्मद रजा आबदी और सैयद अली हुसैन जैदी ने पत्रकारों को बताया कि इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करवाने का अभियान देश भर में चल रहा है और विश्व के अन्य देशों में भी इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब का शासक परिवार सुन्नी वहाबी है जो कि मजारों को पक्का बनाने के खिलाफ है।

ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर पाकिस्तान व्यापारिक केन्द्र स्थापित करेगा

इंकलाब (20 सितंबर) के अनुसार "पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि ईरान और अफगानिस्तान के साथ अपनी सीमा पर 18 व्यापारिक केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ताकि इन दोनों देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हो सके। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि इस फैसले से अफगानिस्तान में शांति स्थापना में सहायता मिलेगी। पाकिस्तान सरकार के अनुसार 12 व्यापारिक केन्द्र अफगानिस्तान की सीमा पर और छह ईरान की सीमा पर स्थापित किए जाएंगे। ये सभी केन्द्र पाकिस्तानी सीमा के भीतर होंगे और इनके निर्माण कार्य अगले वर्ष पूरे होंगे।"